बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
सचिका सं0 – 03 / भू0अ0नि0(05)–अपील –08 / 2023 4204 **दिनांक** 05/06/2023

आदेश

प्रस्तुत अपील ''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8(4)'' में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत अपीलार्थी श्री रोहित कुमार (EMP ID – AEN03112) पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश संख्या 1073 दिनांक 19.01.2023 के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलार्थी श्री रोहित कुमार को अपील की निर्धारित तिथि की सूचना ईमेल द्वारा दी गई है। निर्धारित तिथि 24.03.2023 को वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई। उभयपक्ष उपस्थित। निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा अपना मंतव्य दाखिल किया गया। प्रस्तुत अपील में उभयपक्षों को सुनकर अपील आदेश पर रखा गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि वो बिहार राज्य विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी संघ के निर्वाचित अध्यक्ष है। महासंघ गोप गुट के संरक्षण में संचालित तथा सबद्धता प्राप्त बिहार राज्य भू–माप एवं बन्दोबस्त–सह–चकबन्दी कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 25.12.2022 को हुए प्रथम राज्य सम्मेलन में सर्व सम्मति से एक कार्यकारणी का गठन किया गया, जिसके तहत् संविदा विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के हितो की पैरोपकारी करने हेतु मुझे अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया। सम्मेलन की कार्यवाही के साथ संविदा कर्मियों के 11 सूत्री मांग की सूचना ज्ञापांक 11/22 दिनांक 30.12.2022 द्वारा मुख्यमंत्री, बिहार सरकार, विभागीय मंत्री, मुख्य सचिव, बिहार एवं अन्य विभागीय वरीय पदाधिकारी को दी गयी। उक्त 11 सूत्री मांगो पर लम्बा समय व्यतीत हो जाने के बावजूद निदान नहीं निकला फलस्वरूप संध के राज्य स्तरीय कमिटी की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मीगण दिनांक 10.01.2023 से विधिवत् अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित रहकर ऑनलाईन उपस्थिति अंकित कर अपनी मांगो के संबंध में जिला बन्दोबस्त कार्यालय एवं विभाग का ध्यान आकृष्ट करने हेतु कलमबद्ध हड़ताल करेंगे। अपीलार्थी ने विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को बैठक में भाग न लेने एवं कार्य बाधित करने हेतु उकसाने के आरोप को असत्य एवं बस्तुस्थिति से परे बताया है।

बन्दोबस्त पदाधिकारी बेगूसराय से प्राप्त सूचना के आलोक में श्री रोहित कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन से स्पष्टीकरण की माँग निदेशालय के पत्रांक 535 दिनांक 18.01.2023 द्वारा की गयी। श्री कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया है कि बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा किन–किन तथ्यों का उल्लेख उनके विरूद्ध की गयी है, उसका प्रतिलिपि उन्हें नहीं दी गयी। उन्होंने संघ की वैधानिकता पर स्पष्ट किया है कि उनका संघ बिहार राज्य भू–माप एवं बन्दोबस्त–सह–चकबंदी कर्मचारी संघ, महासंघ (गोपगुट) से पत्रांक 06 दिनांक 20.02.2022 से सम्बद्ध है। श्री कुमार ने अपने विभागीय कार्यो यथा मंसुरचक अंचल के विशेष सर्वेक्षण शिविर संख्या 01 के 2 आंवटित राजस्व ग्राम मरांची (29) एवं सरायनुरनगर (231) में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यो के संबंध में प्रतिवेदित किया है कि उनके द्वारा विशेष सर्वेक्षण कार्य के निर्धारित समय अवधि के अंदर पूर्ण किया गया है। संभावित विलम्ब हेतु हवाई सर्वेक्षण एजेंसी एवं कुछ स्तर पर बन्दोबस्त कार्यालय बेगूसराय जिम्मेवार है क्योकि उनके द्वारा ससमय समस्याओं के निराकरण/मार्गदर्शन विलंब से देने एवं उन्हें अन्य राजस्व ग्राम गोविन्द (28) टैग करना बताया गया है। उन्होंने अपने आंदोलनकारी साथियों को समझाने–बुझाने का प्रयास तथा संघ एवं शासन के बीच सेतु का कार्य करने वाला बताया है।

निदेशालय भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार पटना द्वारा प्राप्त मंतव्य में स्पष्ट किया गया है कि आरोपित पर लगाये गए आरोप तथा उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचारोपरांत स्पष्ट हुआ कि आरोपित पर लगाये गए आरोप के संदर्भ में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे इनका स्पष्टीकरण स्वीकार किया जा सके। आरोपित द्वारा कोई तथ्यपरक उत्तर न देकर वैसा कथन दिया गया है, जो इन पर लगे आरोप के विपरीत है।

साथ ही आरोपित के कार्यकलाप के संबंध में निदेशालय में संधारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। जिसमें पाया गया कि आरोपित को बेगूसराय जिला के अंचल– मंसूरचक के शिविर सं0–01 के दो ग्राम– मराची, थाना नं0–29 एवं सराय नूरनगर, थाना सं0–231 आवंटित है, जिसमें ग्राम सराय नूरनगर, थाना सं0–231 में पॉलिगन की संख्या मात्र 58 है। इस राजस्व ग्राम में किस्तवार दिनांक– 23.05.2022 को प्रारंभ किया गया एवं दिनांक– 12.07.2022 को समाप्त किया गया है। इनके द्वारा किस्तवार कार्य समाप्त करने में 50 दिन का समय लिया गया है, जबकि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 / नियमावली, 2012 के अंतर्गत किस्तवार प्रक्रम की समय–सीमा 30 दिन निर्धारित है। नियमानुसार प्रतिदिन 35 से 40 खेसरों का किस्तवार किया जाना है, जबकि इनके द्वारा मात्र 58 पॉलिगन में 50 दिन का समय लिया गया है। इस राजस्व ग्राम का खानापुरी कार्य दिनांक– 19.09.2022 से प्रारंभ किया गया है, जो 04 माह की अवधि बीत जाने के बाद भी पूर्ण नहीं किया गया है। राजस्व ग्राम– मराची, थाना नं0–29 में 18 पॉलिगन में किस्तवार कार्य 18 दिन में तथा खानापुरी कार्य 42 दिनों में पूर्ण किया गया है, जो सर्वेक्षण कार्य हेतु निर्धारित समय–सीमा के विपरीत है।

श्री कुमार का कुकृत्य ही प्रशाखा पदाधिकारी एवं स्थापना में पदस्थापित अन्य कर्मियों द्वारा पीत पत्र के माध्यम से सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को प्रेषित की गयी है कि श्री कुमार द्वारा दिनांक 16.02.2023 को अपने अपील के संबंध में पृच्छा की गई, पृच्छा के क्रम में स्थापना शाखा में उपस्थित कर्मियों के समक्ष धमकी दी गयी कि **"लगता है मुझे फिर से लड़को को खड़ा करना पड़ेगा तभी मेरा काम होगा"।**

श्री कुमार का कृत्य स्वेच्छाचारिता, सरकारी कार्यों में बाधा पहुँचाने एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना का घोतक है। इनके द्वारा सरकार की महत्त्वकांक्षी योजना, जो समयबद्ध है, में बाधा डालने का कार्य किया गया है। साथ ही साथ अन्य कर्मियों को भी कार्य में बाधा डालने हेतु उकसाया गया है, जो योग्य कर्मी के आचरण के विपरीत है। इस तरह के कर्मी को सेवा में बनाए रखने से अन्य कर्मियों पर इसका कुप्रभाव पड़ सकता है।

उभयपक्षों को सुनने तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री रोहित कुमार पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन के विरूद्ध लगाये गए आरोप सत्य हैं।

अतः निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आदेश संख्या 1073 दिनांक 19.01.2023 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आवेदक श्री रोहित कुमार (EMP Id-03112) पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा दायर अपील को अस्वीकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0 / –
अपर मुख्य सचिव
–सह–
अपीलीय प्राधिकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना

कृ0पृ0उ0

B:\Dharmveer\Y-2023\B.Mishra Sir\Order\08-2023 19-05-2023.docx

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(05)–अपील –08 / 2023...4504......पटना, दिनांक :05/06/2023

प्रतिलिपि : श्री रोहित कुमार (EMP ID –AEN03112) पूर्व विशेष सर्वेक्षण अमीन, बेगूसराय, e-Mail Id- rohit10101995@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

5/6/23

(अनिल कुमार सिंह)
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(05)–अपील –08 / 2023...4504......पटना, दिनांक :05/06/2023

प्रतिलिपि : बन्दोबस्त पदाधिकारी / सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0) बेगूसराय, को सूचनार्थ प्रेषित।

5/6/23

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(05)–अपील –08 / 2023...4504......पटना, दिनांक :05/06/2023

प्रतिलिपि : संबंधित स्थापना, सहायक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/6/23

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(05)–अपील –08 / 2023...4504......पटना, दिनांक :05/06/2023

प्रतिलिपि : निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/6/23

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(05)–अपील –08 / 2023...4504......पटना, दिनांक :05/06/2023

प्रतिलिपि : श्रीमति सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5/6/23

सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

B:\Dharmveer\Y-2023\B.Mishra Sir\Order\08-2023 19-05-2023.docx